

25/04/2025

—प्रकरण प्रस्तुत।

—प्रकरण का अवलोकन किया।

—आवेदक सुनील कुमार पिता गीता सिंह, तहसील व जिला — कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम — कोरबा, प.ह.नं.—16, तहसील व जिला—कोरबा, में खसरा नम्बर 761/2 क एवं 625/1, रकबा 25.9 ए. एवं 4.32 ए. भूमि पर पर अनेक प्रजाती के कुल 17 नग वृक्ष स्थित है। जिसमें से कुल 03 वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

—प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। राजस्व विभाग से स्थल निरीक्षण/संयुक्त जाँच प्रतिवेदन निर्धारित प्ररूप—घ में निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 17/04/2025 को प्राप्त हुई, जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन प्ररूप —घ के अनुसार कुल 03 नग वृक्ष साल वृक्ष —02 नग एवं पीपल वृक्ष— 01 नग, मौके में पाया गया जो प्ररूप —घ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

—छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:—

(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा

(ङ.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा

(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर— नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

— आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियाँ लागू नहीं होना पाया गया।

नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

- उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी. उल्लेखित है।
- वृक्ष कटाई के नियम 2022 के नियम 7 (प्राकृतिक रूप से उगे हुये वृक्षों की कटाई) के उपनियम (4) तथ नियम 8 (रोपित वृक्षों की कटाई) के उपनियम (2) में 90 प्रतिशत राशि भुगतान के पश्चात् वृक्षारोपण हेतु उपयोग किये जाने वाली शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा करने का प्रवधान है। 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा किये जाने के शर्त पर लोकहित में कुल-03 वृक्षों की विदोहन की अनुमति दी जाती है।
- संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

838
28/04/25

प्रति,

सुनील कुमार पिता गीता सिंह,
निवासी- कोरबा, पटवारी हल्का नंबर-16
तहसील व जिला-कोरबा,

विषय:- 03 नग वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक- 21/02/2025 के तहत राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक- 21/02/2025 को जारी किया गया। संबंधितों से संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16/04/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

पीपल - 01 नग, साल- 02 नग वृक्ष अवस्थित रूप से खड़े अवस्था में हैं।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि सुनील कुमार पिता गीता सिंह, तहसील व जिला - कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम - कोरबा, प.ह.नं.-16, तहसील व जिला-कोरबा, में खसरा नम्बर 761/2 क एवं 625/1, रकबा 25.9 ए. एवं 4.32 ए. भूमि पर पर अनेक प्रजाती के कुल 17 नग वृक्ष स्थित है। जिसमें से कुल 03 नग वृक्ष को काटने एवं अन्य वृक्षों की छटाई किये जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

वृक्ष कटाई के नियत 2022 के नियम 7 (प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई) के उपनियम (4) तथ नियम 8 (रोपित वृक्षों की कटाई) के उपनियम (2) में 90 प्रतिशत राशि भुगतान के पश्चात् वृक्षारोपण हेतु उपयोग किये जाने वाली शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा करने का प्रवधान है। 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा किये जाने के शर्त पर लोकहित में कुल-03 नग वृक्ष की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 03 नग वृक्षों की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)
28/04/2025

पृ.क. 839 / अ.वि.अ. / वाचक / 2025
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला-कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल-कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार -कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

28/4/25